अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 10 /F-2016-04-01362/ब–4/चार

**छत्तीसगढ़ शासन**
**वित्त विभाग**
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

**अमिताभ जैन**
**प्रमुख सचिव**

नया रायपुर दिनांक 13.04.2017

**संदर्भ–**

विभागीय पत्र क्र.2234 F-2016-04-01362 /ब–4/चार, दिनांक 27.3.2017 एवं पत्र कमांक 2233 F-2016-04-01362 /ब–4/चार, दिनांक 27.3.2017

**विषय** :– Public Financial Management System (PFMS) **का क्रियान्वन के संबंध में**

प्रिय श्री................

वित्तीय वर्ष 2017-18 से केन्द्रीय योजनाओं का कियान्वयन पी.एफ.एम.एस. Portal के माध्यम से किया जाना है। पी.एफ.एम.एस. तहत् योजना कियान्वित एवं मॉनिटरिंग करने विभिन्न स्तर के विभागीय अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किया गया है। पी.एफ.एम.एस. कियान्वयन संबंधी मार्गदर्शिका वित्त विभाग की वेबसाईट www.cgfinance.nic.in पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर अधिकारियों की भूमिका तथा दायित्व की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वित्त विभाग द्वारा इस हेतु 'Scheme Manager for State' योजनावार तथा 'State dept. MIS User'नामांकित कर नामांकित अधिकारी की जानकारी प्रेषित करने पार्श्व में अंकित संदर्भित पत्र में अवगत कराया जा चुका है। अब तक किसी भी विभाग से नामांकन संबंधी जानकारी अप्राप्त है।

विभाग द्वारा नामांकित 'Scheme Manager for State' को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 18 तथा 19 अप्रैल 2017 को मंत्रालय स्थित कक्ष S0-12 में कन्ट्रोलर जनरल ऑफ एकाउण्ट, नई दिल्ली से उपस्थित अधिकारियों द्वारा दिया जाना है। विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी की जानकारी पोर्टल में प्रविष्टि कर उनका अनुमोदन तथा स्कीम मेपिंग का कार्य, योजना की मार्गदर्शिका अनुसार नहीं होने पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रांश राशि की प्राप्ति प्रभावित होगी।

अत: प्रशिक्षण के पूर्व नामांकन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण पर अधिकारियों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित कराने अनुरोध है।

**भवदीय**

**(अमिताभ जैन)** 13/4/17

श्री ...............................
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
..........................................................
मंत्रालय, नया रायपुर